मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों/तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक **27/01/2026** को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--००--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिवों के साथ प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 27/01/2026 को प्रातः 11:00 बजे मुख्यालय में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिव वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

(1) विधानसभा प्रश्नों का जवाब प्रस्तुत करना:- विधानसभा सत्र आगामी माह से प्रारंभ हो रहा है। समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विधानसभा प्रश्नों के जवाब तैयार कर समय-सीमा में मुख्यालय प्रेषित करें। मुख्यालय स्तर पर निर्देशित किया गया कि प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के जवाब तैयार कर दिनांक 02 फरवरी तक भौतिक रूप से अनुमोदित करावें तत्पश्चात् ई-ऑफिस के माध्यम से प्रस्तुत करें।

(2) लंबित विधानसभा आश्वासनों की समीक्षा:- मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय अंतर्गत लंबित विधानसभा आश्वासनों की समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आंचलिक कार्यालय स्तर पर लंबित प्रकरण में अविलंब निराकरण कर मुख्यालय प्रेषित करें। मुख्यालय स्तर पर निर्देशित किया गया कि लंबित आश्वासन प्रकरणों में समन्वय स्थापित करते हुए लंबित प्रकरणों को अद्यतन करें।

(3) सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा:- सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की संभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि मुख्यालय सहित समस्त संभागों की एल-3 पर कुल 2930 शिकायतें दर्ज हैं। सर्वाधिक भोपाल संभाग में 1139, सागर में 607, इंदौर में 536, उज्जैन में 405, ग्वालियर में 161, जबलपुर में 41 एवं रीवा में 3 शिकायतें लंबित हैं। एल-2 पर कुल 743 एवं एल-1 पर 713 शिकायतें दर्ज पाई गईं। समस्त संभागीय अधिकारियों को

निर्देशित किया गया कि भावांतर भुगतान योजना से संबंधित शिकायतों के निराकरण के संबंध में मुख्यालय से परिपत्र दिनांक 22.01.2026 जारी किया गया है। अतः उक्त का अवलोकन करें एवं समस्त सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उक्त परिपत्र में उल्लेखित बिंदुओं पर चर्चा कर भावांतर भुगतान योजना के लंबित प्रकरणों का निराकरण करावें।

(4) <u>भावांतर योजना अंतर्गत भुगतान सत्यापन की स्थिति</u> :- आगामी 29 जनवरी 2026 को भावांतर योजना अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषकों को राशि का वितरण किया जाना है। अतः समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि योजना अंतर्गत लंबित भुगतानों का आज ही सत्यापन करे एवं मुख्यालय प्रेषित करें। मुख्यालय स्तर पर निर्देशित किया गया कि सत्यापित भुगतान की जानकारी प्राप्त कर भुगतान की आगामी कार्यवाही करावें।

समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दिनांक 29 जनवरी के भुगतान उपरांत शेष लंबित विवादित भुगतानों के निराकरण किया जाना है। अतः मंडी वार समीक्षा करें एवं संबंधित मंडी समितियों को निर्देश जारी करें कि आगामी शनिवार एवं रविवार को संबंधित मंडी समिति में क्रय-विक्रय बंद करने का आदेश निकालकर उपरोक्त अवधि में कैम्प आयोजित किया जावे। आयोजित कैंप में विवादित भुगतान वाले कृषकों एवं व्यापारियों से दस्तावेज आदि प्राप्त कर, बैंक विवरण से मिलान कर विवादित भुगतान पर निर्णय करते हुए मुख्यालय प्रेषित करें। उक्त अवधि में मुख्यालय में एनआईसी की टीम सहयोग हेतु रहेगी। समस्त संभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त अवधि में विवादित भुगतान वाले प्रकरणों का निराकरण हो जावे ताकि भारत सरकार को राशि के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

(5) <u>सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान:-</u> संज्ञान में आया है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत भी कतिपय अधिकारी/कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य स्वत्वों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग से संपरीक्षा की कार्यवाही सेवानिवृत्ति के पूर्व करा ली जावे एवं सेवानिवृत्ति के 15 दिवस पूर्व प्रकरण मुख्यालय प्रेषित करें। संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा पेंशन प्रकरण में विलंब करने के संबंध में कोई प्रकरण उदाहरणार्थ हो तो प्रेषित करें, मुख्यालय स्तर से स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग को प्रकरणों के निराकरण हेतु लेख किया जावेगा। समस्त संभागीय अधिकारी सेवानिवृत्त कर्मियों की समीक्षा करें एवं

आगामी 28 फरवरी 2026 से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के प्रकरण 15 दिवस पूर्व मुख्यालय प्रेषित करें। मुख्यालय स्तर पर निर्देशित किया गया कि सेवानिवृत्ति दिवस को ही संबंधित कर्मियों के पीपीओ जारी किए जाने का लक्ष्य आगामी 28 फरवरी से रखा जावे।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देश:-

- भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत भारत सरकार को प्रेषित किए जाने वाले प्रस्ताव के संबंध में श्री गोविंद शर्मा, सहायक संचालक (कृषि) को निर्देशित किया गया कि पूर्व में भारत सरकार को राशि प्राप्ति हेतु प्रेषित किए गए प्रस्ताव का अध्ययन करें एवं प्रस्ताव शीघ्र तैयार करावें।
- कृषि उपज मंडी समिति जावरा के प्रांगण शिफ्टिंग के संबंध में उज्जैन संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि भारसाधक अधिकारी के साथ बैठक करें और शिफ्टिंग की कार्यवाही करावें।
- संभागीय अधिकारी ग्वालियर को सरसों पर भावांतर भुगतान योजना लागू करने संबंधी कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। अतः संभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्तानुसार वांछित कार्ययोजना तैयार करें एवं मुख्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करें।
- कतिपय प्रकरणों में संज्ञान में आया है कि स्थानांतरण होने पर अधिकारी/कर्मचारियों को भारमुक्त नहीं किया जाता है एवं मुख्यालय से जारी आदेश का उल्लंघन किया जाता है। अतः समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्थानांतरण आदेश जारी होने पर एक दिवस की अवधि में संबंधितों को भारमुक्त किया जावे। आदेशों की अवहेलना पर संबंधित संभागीय अधिकारी जवाबदेह होंगे।
- संभागीय अधिकारी रीवा, ग्वालियर एवं कृषि उपज मंडी समिति चौरई के प्रकरण में जबलपुर को निर्देशित किया गया कि 800 से अधिक कृषकों के एक वर्ष से लंबित भुगतान के संबंध में मंडी बोर्ड के नियुक्त अधिवक्ताओं से न्यायालय में मेंशन करावें। ताकि न्यायालय में अर्जेंट हियरिंग हो सके एवं कृषकों के लंबित भुगतान प्रकरणों का निराकरण कराया जा सके।
- म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड अंतर्गत मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय, तकनीकी कार्यालय एवं प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के सेवा अवधि से संबंधित समस्त अभिलेखों को eHRMS Portal पर अविलंब दर्ज कराये जाने के संबंध में समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में संभागों की कतिपय मंडी समितियों के लेखे अप्राप्त हैं। जिनमें भोपाल संभाग की 12 मंडियां, इंदौर की 03, उज्जैन की 18, ग्वालियर की 18, सागर की 10, जबलपुर की 19 एवं रीवा संभाग की 18 मंडियों के लेखे शेष हैं। अतः समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी समीक्षा बैठक के पूर्व कार्यवाही पूर्ण कराते हुए जानकारी प्रेषित करें।
- समय-सीमा बैठकों के समीक्षा उपरांत दिए गए निर्देशों पर कार्यवाही करने हेतु कार्यवाही विवरण जारी किए जाते हैं। समीक्षा में संज्ञान में आया है कि जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है। अतः विगत 06 माह में जारी कार्यवाही विवरणों को सूचीबद्ध कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आगामी समीक्षा बैठकों में पूर्व में जारी कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर भी समीक्षा की जायेगी।

समय-सीमा के प्रकरणों की प्रकरण वार समीक्षा की गई एवं पूर्ण कार्यवाही वाले प्रकरणों को समय-सीमा पत्रों की सूची से विलोपित किया गया।

(धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समय-सीमा समीक्षा बैठक संपन्न हुई।)

Digitally signed by
Kumar Purushottam
Date: 31-01-2026
13:32:14

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय-सीमा/जनवरी/2026/ भोपाल, दिः- /01/2026

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।

2 अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

3 अपर संचालक (वित्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

4 संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

5 संयुक्त संचालक/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।

6 उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/ सहायक संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय,भोपाल।

7 कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)।

8 सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त), मध्यप्रदेश।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल